पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
ई–निविदा सूचना

निम्न ई–निविदाएं सेमी टर्नकी आधार पर खुलने की तिथि 01.10.2023 समय 14.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैः– (1) नि0सं0 29 एवं 30/कार्य/2023–24ः– क्रमशः खण्ड–प्रथम/द्वितीय में प्रणाली सुदृढीकरण के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, (2) नि0सं0 31 एवं 32/कार्य/2023–24ः–क्रमशः खण्ड–प्रथम/द्वितीय में प्रणाली सुदृढीकरण के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना, (3) नि0सं0 33 एवं 34 /कार्य/2023–24ः– क्रमशः खण्ड–प्रथम/द्वितीय में अतिरिक्त बिजनेस प्लान में विभिन्न स्थानों पर वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, (4) नि0सं0 35 एवं 36 /कार्य/2023–24ः– क्रमशः खण्ड–प्रथम/द्वितीय में अतिरिक्त बिजनेस प्लान में विभिन्न स्थानों पर नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना, (5) नि0सं0 37 एवं 38 /कार्य/2023–24ः– क्रमशः खण्ड–प्रथम/द्वितीय में नगर निकाय योजना में विभिन्न स्थानों पर वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, (6) नि0सं0 39 एवं 40/कार्य/2023–24ः– क्रमशः खण्ड–प्रथम/द्वितीय में नगर निकाय योजना में विभिन्न स्थानों पर नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना, (7) नि0सं0 41/कार्य/2023–24ः– प्रणाली सुदृढीकरण में खण्ड–प्रथम में 11 के0वी0 पोषक का निर्माण, (8) नि0सं0 42/कार्य/2023–24ः– प्रणाली सुदृढीकरण में खण्ड–द्वितीय में 11 के0वी0 पोषक पृथ्कीकरण का कार्य। निविदा हेतु वांछित धरो0रा0 व नि0मू0 (अप्रतिदेय) को विभागीय खाते में जमा कराये जाने एवं निविदा से सम्बन्धित अन्य समस्त विस्तृत विवरण/जानकारी/संशोधन/तिथि विस्तार इत्यादि हेतु वैबसाइट **www.pvvnl.org**, एवं **www.etender.up.nic.in** पर लॉग इन करें। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर। राष्ट्रहित में बिजली बचायें, ''बिजली चोरी की सूचना हेल्पलाईन नम्बर पर दें : 1800–180–3002 (मेरठ), 1800–180–8752 (लखनऊ)।

(Sanjeev Kumar)
Superintending Engineer
E.U.D.C., Saharanpur
SAP ID-11000208

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
घण्टाघर, सहारनपुर।

दिनांक :– 01.09.2023

पत्रांकः– 1235/ वि0न0वि0म0/स0पुर/निविदा

विज्ञापन व्यवस्थापक
हिन्दुस्तान
मेरठ।

विज्ञापन व्यवस्थापक
दैनिक हॉक
सहारनपुर।

विज्ञापन आदेश

महोदय,

कृपया संलग्न 1 नं0 विज्ञापन निविदा सूचना अपने प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र मे दिनांक **02 सितम्बर, 2023** के अंक में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 8–10 प्वाइंन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 6–8 प्वाइंन्ट टाइप में (समाचार पत्रों के केवल एक कालम में) प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाईन मे रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचनाएँ जैसे बिजली, बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचनाएँ बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन को दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुये भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को/अधोहस्ताक्षरी को (जहां भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अग्रेंजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अग्रेंजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा की समाग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा मे करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नही किया जायेगा।
5. यदि आपकी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन को प्रकाशित न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
6. विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में राष्ट्रीय हित में बिजली बचाऐं का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गन्दे अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक– 1–विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति
2–विज्ञापन समाग्री 1 नं0

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांकः– 1235/ दिनांकः– **01.09.2023**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- N.I.E.L.I.T (DOEACC CENTRE) Unit PVVNL, Meerut को डिस्कॉम की वैबसाईट पर अपलोड करने के लिए।
2- मुख्य अभियन्ता (वितरण) सहारनपुर क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, सहारनपुर।
3- उप मुख्य लेखाधिकारी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, जोनल कार्यालय सहारनपुर।
4- जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क अनुभाग, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
5- नोटिस बोर्ड

अधीक्षण अभियन्ता
(Sanjeev Kumar)
Superintending Engineer
E.U.D.C., Saharanpur
SAP ID-11000208